उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या- 35/2015/सीपी 622/84-2-2015-सीपी 2/2014

लखनऊ : दिनांक : 14 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

श्रीमती शानिया खान पत्नी श्री रईस अहमद खान, कुमार लाज के सामने, स्टेशन रोड, बांदा की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या- 68/सीपी 1034/84-2-2014-सीपी 2/2014, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, बांदा में महिला सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी थी। इस आदेश के अनुपालन में श्रीमती शानिया खान पत्नी श्री रईस अहमद खान द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, बांदा में महिला सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या - 967/एससीडीआरसी/अधि/75/14, दिनांक 05 जून, 2015 में अवगत कराया गया कि श्रीमती शानिया खान द्वारा अभी तक जिला फोरम, बांदा के महिला सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने एवं आयोग द्वारा उन्हें प्रेषित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर न दिये जाने फलस्वरूप उनकी जिला उपभोक्ता फोरम, बांदा के महिला सदस्य के पद पर की गयी नियुक्ति को निरस्त किये जाने की संस्तुति आयोग द्वारा की गयी है।

3. अत: राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शासन के पत्र संख्या सीपी 459/84-2-15-सीपी 2/2014, दिनांक 28 जुलाई, 2015 द्वारा श्रीमती शानिया खान पत्नी श्री रईस अहमद खान, कुमार लाज के सामने, स्टेशन रोड, बांदा को इस आशय का कारण बताओ नोटिस दिया गया कि शासन की अधिसूचना दिनांक 19.11.2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार वांछित अभिलेख अभी तक कार्यालय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ में दाखिल नहीं किये गये हैं। अत: इससे स्पष्ट होता है कि जिला उपभोक्ता फोरम, बांदा में महिला सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं। अत: क्यों न जिला उपभोक्ता फोरम, बांदा में महिला सदस्य (पूणर्कालिक) के पद पर की गयी नियुक्ति को शासन द्वारा निरस्त कर दी जाय। उक्त कारण बताओ नोटिस से सम्बन्धित पत्र दिनांक 28.07.2015 (पंजीकृत) डाक से श्रीमती शानिया खान पत्नी श्री रईस अहमद खान, कुमार लाज के सामने, स्टेशन रोड, बांदा को भेजा गया। परन्तु शानिया खान द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि श्रीमती शानिया खान जिला उपभोक्ता फोरम, बांदा में महिला सदस्य के पद पर कार्य नहीं करना चाहती हैं।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती शानिया खान पत्नी श्री रईस अहमद खान, कुमार लाज के सामने, स्टेशन रोड, बांदा की जिला उपभोक्ता फोरम, बांदा के महिला सदस्य के पद पर उक्त अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा की गयी नियुक्ति को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सुधीर गर्ग

प्रमुख सचिव।

.....2....

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या- 35/2015/सीपी 622/84-2-2015-सीपी 2/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।

(2) जिलाधिकारी, बांदा ।

(3) कोषाधिकारी, बांदा ।

(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, बांदा (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।

(5) श्रीमती शानिया खान पत्नी श्री रईस अहमद खान, कुमार लाज के सामने, स्टेशन रोड, बांदा (पंजीकृत) ।

(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

राजेन्द्र मणि त्रिपाठी

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।